न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर), पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या ::27 / 2018::

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
नरसिंह पुत्र बंशीलाल जाति पुरोहित निवासी लाम्बिया तहसील जैतारण		1. प्राधिकृत अधिकारी भूमि आवप्ति नेशनल हाईवे 458 पाली (अति. जिला कलक्टर पाली), 2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे नम्बर 458 पता मकान नम्बर 104 आदर्श नगर अजमेर

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

आरबीट्रेशन प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित :-प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रघुनाथसिंह।

अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनु.।

::: आदेश :::

दिनांक :- 15/1/19

प्रार्थी की ओर से यह आरबीट्रेशन प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 3जी राष्ट्रीय राजमार्ग आधिनियम 1956 विरूद्व अप्रार्थीगण पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के भी अनु. रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषी भूमी खसरा नम्बर 641/7 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दोयम ग्राम लाम्बिया तहसील जैतारण मे स्थित है उक्त आराजी मे से 0.0313 हैक्टेयर भूमी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 हेतु आवाप्त करने के लिए दिनांक 29.01.2016 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के तहत राजस्थान पत्रिका व राजपत्र मे प्रकाशन किया गया। भूमी आवाप्ती के दौरान अप्रार्थी संख्या 1. द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी के अनुसार मुआवजे की गणना भूमी की कीमत 27890/-रू प्रति बीघा अर्थात 172,267 रू प्रति हैक्टेयर की दर से आवाप्त सुदा भूमी 0.0313 हैक्टेयर भूमी का मुआवजा 5391 रू तथा अन्य परिलाभ सहित कुल 16525 रू तय किया जाकर जरिए चैक संख्या 876147 दिनांक 08.09.2017 के भुगतान किया गया। डी.एल.सी. द्वारा उपपंजीयक जैतारण हेतु तहसील जैतारण के ग्रामो की भूमी की दरो का निर्धारण दो भागो मे किया गया है जिसमे प्रथम भाग मे तहसील के गांवो की सूची मे प्रार्थी की खातेदारी भूमी स्थित लाम्बिया गांव का नाम क्रम संख्या 97 पर है जिसके अनुसार दिनांक 01.04.2015 को असिंचित भूमी आबादी व सड़क के पास स्थित की दर प्रति बीघा 27890 रू अर्थात 172267 रू प्रति हैक्टेयर होती है तथा द्वीतीय भाग मे राष्ट्रीय राजमार्ग से लगते ग्राम की डी.एल.सी. दर सड़क के

क्रमशः:2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

पास स्थित भूमी की दिनांक 01.04.2015 को जारी दर अनुसार (जिसमे राज्यमार्ग जो अब राष्ट्रीय राजमार्ग हो चूका है) सूची मे क्रम संख्या 5. पर लाम्बिया गांव का नाम अंकित है जिसके अनुसार सड़क सीमा से 0 से 100 मीटर की दूरी तक स्थित खसरा नम्बरान की दर 160030/– प्रति बीघा है। जिसके अनुसार 990000/–रू प्रति हैक्टेयर है। उक्त सूची मे 0 से 100 मीटर तक के खसरा नम्बर दर्ज है प्रार्थी की खातेदारी भूमी खसरा नम्बर 641/7 भी इसी सूची मे दर्ज होने से मुआवजा राशि की गणना भी इसी अनुसार तय की जानी चाहिए थी जो नही की गई है। इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि की गणना धारा 3 ए के प्रकाशन की तारीख को प्रचलित डी.एल.सी. दर से नही की गई है जो विधी सम्मत नही होने से तद्समय लागू विधी सम्मत दर से कराने के आदेश प्रदान करावें। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक 4–1(3)राज/6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.6.2016 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की दशा मे निकटतम शहरी क्षेत्र की सीमा से आवाप्ती हेतु प्रस्तावित आराजी जो इस परियोजना हेतु आवाप्त की जा रही है, की दूरी के आधार पर तय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मुल्य को 20 किमी से अधिक व 30 किमी. तक के गुणक 1.75 से गुणित किया जाकर प्रतिकर निर्धारण किया जाना चाहिए था क्योकि लाम्बिया निकटतम शहरी क्षेत्र जैतारण मे 20.600 किमी दूर है। जबकि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारित करते समय गुणक 1.50 से गुणित कर किया गया जो विधी सम्मत नही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को उपरोक्तानुसार गणना के पश्चात् जो मुआवजा बनता है उसे प्राप्त करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार मुआवजा की गणना सही नही की जाने से सही मुआवजा राशि की गणना कराने एंव भुगतान की गई मुआवजा राशी व वर्तमान मे सही गणना से भुगतान योग्य मुआवजा की अन्तर राशी का भुगतान कराने हेतु निवेदन किया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया प्राधिकृत अधिकारी भूमी अवाप्ती पाली राजमार्ग संख्या 458 द्वारा भूमी का मुआवजा 27890 रू प्रतिबीघा की दर से उप पंजियक जैतारण की डी.एल.सी. लागू दिनांक 01.10.2014 एंव 01.04.2015 से 10 प्रतिशत खातेदारी अनुसार किया गया है जबकि राज्य सरकार की बजट घोषणा अनुसार डी.एल.सी. मे 15 प्रतिशत बढोतरी की दर दिनांक 01.10.2014 लागू दिनांक 01.04.2015 के अनुसार 160030/–रू प्रति बीघा सड़क सीमा से 0 से 100 मीटर के भीतर आवाप्त सुदा भूमी स्थित होने से तदनुरूप किया जाना चाहिए था जो एक विधिक त्रुटी है इससे प्रार्थी को आर्थिक नुकसान हुआ है जिसका सुधार न्यायोचित है तथा ग्राम लाम्बिया ग्रामीण क्षेत्र होने से निकटतम शहरी क्षेत्र जैतारण से 20.600 किमी की दूरी पर आवाप्त सुदा भूमी स्थित होने से बाजार मूल्य को '20 किमी से 30 किमी' के गुणक 1.75 से गुणित किया जाना चाहिए था जैर प्रार्थना पत्र मे अंकित आराजी के मुआवजा निर्धारण हेतु निर्धारित दूरी '10 किमी से 20 किमी' की दूरी के गुणक 1.50 से गुणित कर मुआवजा निर्धारण किया गया है जो न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राधिकृत अधिकारी भूमी आवाप्ती राष्ट्रीय राजमार्ग 458 पाली (अति. जिला कलेक्टर पाली) को उनके द्वारा निर्धारित

क्रमशः:3

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

मुआवजे हेतु जारी आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवेचित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के पक्ष को सुना जाकर नए सिरे से विधि सम्मत देय प्रतिकर की गणना कर पूर्व मे भुगतान की गयी राशि से अधिक मुआवजा होने पर अन्तर राशि का भुगतान नियमानुसार किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ भूमी आवाप्ती अधिकारी एन.एच. 458 (अति. जिला कलेक्टर) पाली को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/1/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
(आरबीट्रेटर)

जिला कलेक्टर पाली (राज.)

15/1/19

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)